न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जी जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–83/14 वाद पत्र

उनवान

1–नारायणलाल पिता अमरा कुम्हार नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–मदनलाल पिता अमरा कुम्हार नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–प्रकाशचन्द्र पिता अमरा कुम्हार नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–मु0 मांगी बेवा अमरा कुम्हार नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–डालु पिता लालु कुम्हार नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–काना पिता लालु कुम्हार नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–शंकर पिता लालु कुम्हार नि0 रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–जाकिर हुसैन पिता मोइनुदीन नीलगर नि0 रायपुर हाल नि0 भीलवाडा जिला भीलवाड़ा
3–शराफत हुसैन पिता मोइनुदीन नीलगर नि0 रायपुर हाल नि0 भीलवाडा जिला भीलवाड़ा
4–रहमत बानु पुत्री मोइनुदीन नीलगर नि0 रायपुर हाल नि0 भीलवाडा जिला भीलवाड़ा
5–रजिया बानु पुत्री मोइनुदीन नीलगर नि0 रायपुर हाल नि0 भीलवाडा जिला भीलवाड़ा
6–कमरून निशा बेवा मोइनुदीन नि0 रायपुर हाल नि0 भीलवाडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर0टि0एक्ट

उपस्थित

अधिवक्ता वादीगण

1. हरिश टेलर –

निर्णय

दिनांक 12.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रायपुर में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर हमारा सजरा इस प्रकार हैः–

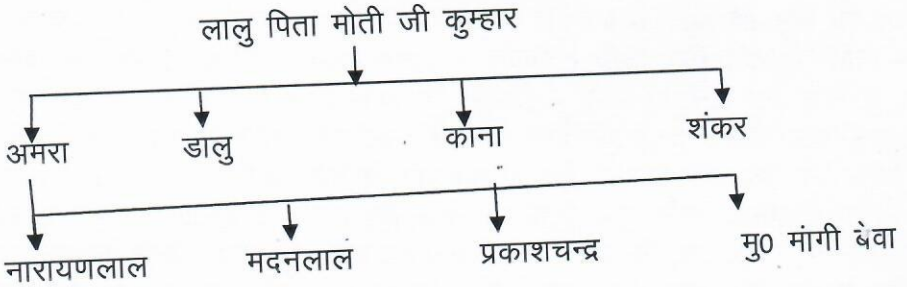

ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे साबिक आराजी संख्या 890 मीन रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित होकर बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी। उक्त वर्णित बिलानाम साबिक आराजी संख्या 890 मीन रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे से हम वादीगण के पूर्वज लालु पिता मोती कुम्हार को 5

बीघा भूमि दिनांक 30.12.1975 को आवंटित हुई। वादीगण के पूर्ववत लालु पिता मोती जी कुम्हार को उक्त वर्णित आराजी मे से भूमि 5 बीघा आवंटन होने के पश्चात उसके बटा नम्बर 890/5 रकबा 5 बीघा भूमि कायम किये जाकर नामान्तरकरण संख्या 676 दिनांक 26.02.1977 को गैर खातेदारी से उनके नाम दर्ज की गई। वादीगण के पूर्वज लालु पिता मोती कुम्हार को आंवटित की गई साबिक आराजी संख्या 890/5 रकबा 5 बीघा भूमि रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क के पूर्व दिशा मे सड़क से लगती हुई परबती चौराहा(वर्तमान मे श्रीकृष्णा गौ शाला के सामने) स्थित थी तथा साबिक नक्शे मे भी इसी जगह सडक के पूर्व दिशा मे तरमीम की गई तथा मौके पर कब्जा भी हम वादीगण के पूर्वज लालु जी को इसी अनुरूप सौपा गया, तब से ही लालु पिता मोती कुम्हार वही पर काबिज हो गये तथा उनकी मृत्यु के पश्चात हम वादीगण उसी जगह पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तथा हम वादीगण की उक्त वर्णित आवंटित एवं कब्जे शुदा आराजी के पूर्व मे इसी बिलानाम आराजी संख्या 890 का शेष रकबा स्थित होकर साबिक नक्शे मे तरमीमात किया हुआ था तथा उसी अनुरूप हम वादीगण काबिज होकर उक्त वर्णित भूमि को काफी लागत एवं श्रम लगाकर काश्त योग्य बनाया व उपजाउ बनाया तथा आवंटित भूमि के चारों तरफ थोहरो की बाड लगाई जो काफी पुरानी हो चुकी है। तहसील रायपुर का नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसमे ग्राम केमुणिया का भी नवीन बंदोबस्त किया गया जिसमे उक्त वर्णित हम वादीगण के पूर्वज लालु को आवंटित साबिक आराजी संख्या 890/5 रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी संख्या 1821 रकबा 1.08 हे0 तथा लालु जी को आवंटन के पश्चात शेष रही बिलानाम साबिक आराजी संख्या 890 मीन के नवीन आराजी संख्या 1724 रकबा 2.25 हे0 कायम किये गये। वर्तमान मे नवीन आराजी संख्या 1821 हम वादीगण के नाम दर्ज है तथा आराजी संख्या 1724 बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण मे मिलान क्षैत्रफल एवं हाल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 तक साथ प्रस्तुत है। वादीगण की साबिक आराजी संख्या 890/5 रकबा 5 बीघा भूमि के नवीन बन्दोबस्त के दौरान नवीन नम्बर 1821 रकबा 1.08 हे0 कायम किये गये वह बिल्कुल सही कायम किये गये है किन्तु साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन नक्शे मे फिट नही किया गया व नवीन नक्शे मे हम वादीगण की नवीन आराजी संख्या 1821 को साबिक नक्शे व मौके की स्थिति मे विपरित रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क के पश्चिम दिशा मे सडक से लगती हुई काफी आगे जाकर दक्षिण मे फिट कर दिया जहां पर हम वादीगण का कब्जा नही होकर प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 का कब्जा है तथा हम वादीगण के पूर्वज लालु जी को आवंटन के पश्चात सिर्पुद किये कब्जे के स्थान पर आवंटन के पश्चात शेष बची बिलानाम आराजी संख्या 890 मीन जिसके नवीन नम्बर 1724 कायम किये गये को रायपुर से गंगापुर जाने वाली सडक से लगती हुई सडक से पूर्व दिशा मे फिट कर दिया जबकि आवंटन के पश्चात शेष बची बिलानाम भूमि हम वादीगण को आवंटित आराजी संख्या 890/5 के पूर्व दिशा मे फिट थी और इसी अनुरूप तरमीमात भी साबिक नक्शे मे की हुई थी जबकि साबिक नक्शे के अनुरूप आराजी नवीन संख्या 1821 को रायपुर से गंगापुर जाने वाली सडक के पूर्व दिशा मे परबती चौराहा (श्री कृष्णा गौशाला के सामने) सडक से लगती हुई फिट करना चाहिये था। तथा हमारी अराजी संख्या 1821 के पूर्व दिशा मे आराजी संख्या 1724 बिलानाम आराजी को तरमीमात करनी चाहिये था जो नही किया इसलिये पुनः साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुरूप नवीन नक्शे मे तरमीमात कराया जाकर इन्द्राजं दुरस्ती किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो एवं कर्मचारियो को साबिक राजस्व रेकार्ड एवं साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे परिवर्तन करने का कोई विधिक अधिकार नही है। फीर भी उन्होने गैर कानूनी तरीके से हम वादीगण के साबिक नक्शे व मौके की स्थिति मे विपरित नवीन नम्बरान को फिट कर दिया जिससे हम वादीगण का वर्तमान मे कब्जा बिलानाम आराजी संख्या 1724 रकबा 1.08 हे0 भूमि पर आ रहा है जिससे हम वादीगण को आवंटित साबिक आराजी संख्या 890/5 रकबा 5 बीघा भूमि जिसके नवीन नम्बर 1821 रकबा 1.08 हे0 को हम वादीगण के साबिक नक्शे व मौके की स्थिति मे कब्जे अनुसार पुनः तरमीम कराये जाने की इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री जारी फरमाई जाना आवश्यक है। हम वादीगण द्वारा हमारी आराजियात की सीमा जानकारी कराने का आवेदन किया गया तथा दिनांक 11.06.2014 को तहसीलदार सा के आदेश की पालना मे पटवारी हल्का रायपुर द्वारा सीमा जानकारी कराने हेतु मौके पर पहुंचे और सीमा जानकारी कराने लगे तो इसकी जानकारी हुई तथा उसका मौका पर्चा भी कायम किया गया उसमे भी हम वादीगण की नवीन आराजी संख्या 1821 को रायपुर से गंगापुर जाने वाली सडक के पूर्वी दिशा के बजाय आगे जाकर पश्चिमी दिशा मे फिट कर दिये जाने से उस पर अन्य व्यक्ति यानि प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 का कब्जा पाया गया है तथा हम वादीगण के पूर्वज लालु जी को आवंटित भूमि के पश्चात शेष रही बिलानाम साबिक आराजी संख्या 890 मिन के नवीन नम्बर 1724 को हम वादीगण की आराजी के स्थान पर सडक सें पूर्व दिशा से लगती हुई फिट कर देने से वर्तमान मे हम वादीगण का कब्जा भी बिलानाम आराजी संख्या 1724 मे से 1.08 हे0 पाया

गया। वैसे भी हम वादीगण की नवीन आराजी संख्या 1821 को हम वादीगण के लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे अनुसार एवं मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। हम वादीगण का वर्तमान मे कब्जा आराजी संख्या 1724 मे पाया गया है और वह बिलानाम दर्ज है तथा हम वादीगण का उक्त वर्णित भूमि मे से आवंटन के पश्चात कब्जा सिपुर्द करने से लगाकर आज तक 1.08 हे0 पर निरन्तर एवं निर्बाध एवं शांति पूर्वक कब्जा है जिसको गलत नवीन नक्शे मे तरमीमात कर दिये जाने का नाजायज लाभ उठाकर विपक्षीगण कभी भी वादीगण को बेदखल कर सकते है वह कब्जे काश्त मे नाजायज दखंलनदांजी कर सकते है जिससे उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जाना आवश्यक हो गया है। हम वादीगण द्वारा सीमा जानकारी करवाने पर हम वादीगण की आराजी को गलत फिट कर देने से उस पर प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 का कब्जा पाया जाने से पुनः उनको दुरस्त कराने से प्रभावित होने से तथा हम वादीगण की आराजी संख्या 1821 साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन नक्शे मे बिलानाम आराजी को फिट कर देने से हम वादीगण का कब्जा बिलानाम भूमि मे पाया जाने तथा लैण्ड होल्डर होने से प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकार संयोंजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि है और उनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जाप्ता दिवानी के तहत दिया जाना आवश्यक है किन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिये यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इस की अनुपति धारा 80 (2) जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनाय वाद दिनांक 11.06.2014 को पटवारी हल्का द्वारा सीमा जानकारी कराने हेतु मौके पर पहुच कर सीमा जानकारी की कार्यवाही करने से हम वादीगण को इसकी जानकारी हुई तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 26.09.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना प्रतिवादी संख्या 2 से 6 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मे नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता फारूख मोहम्मद का अधिकार पत्र पेश किया तथा प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् दो तरफा कार्यवाही कराने का पेश किया जिसकी प्रति वादीगण के अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई आपति जाहिर नही की है परन्तु पूर्व मे एक तरफा कार्यवाही हो जाने से अब इस प्रकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होकर शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शांमिल फाईल किया गया। प्रस्तुत जवाब के अनुसार बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 मे उल्लेखित तथ्य वादीगणो के पूर्वज लालु पिता मोती कुम्हार को ग्राम केमुनिया की साबिक बिलानाम आराजी नम्बर 890 रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक 30.12.1975 को आवंटन होना स्वीकार है जिसके नये नम्बर 805/5 बनाये गये। जमाबन्दी नामान्तरकरण संख्या 676 दिनांक 26.02.77 से अमल हुआ। बिन्दु संख्या 4, 5 , 6, 7, 8 मे उल्लेखित तथ्य के बारे मे गत आराजी नम्बर 890 मीन जो तरमीम की गई है उसमे लालु पांच बिघा अंकन कर रखा है। आवंटी के वारिस उसी जगह बैठे हुए है। यह आवंटन सड़क रायपुर से गंगापुर की पूर्वी ओर स्थित है जबकि भू प्रबन्ध के दौरान इसके जो नये नम्बर 1821 रकबा 1.08 हे0 बनाये गये है जो गलत है। क्योकि आराजी नम्बर 1821 रकबा 1.08 हे0 को सडक के पश्चिमी ओर फीट किया गया जो गत नक्शे के मुकाबले गलत है। वर्तमान मे वादीगण गत नक्शे के अनुरूप ही मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। ऐसी स्थिति मे हाल आराजी नम्बर 1724 रकबा 2.25 हे0 मे से 1.08 हे0 भूमि वादीगणो के नाम दर्ज किया जाना उचित है। कब्जा काश्त है। बिन्दु संख्या 8, 9 मे उल्लेखित तथ्य वादीगणो के नाम आराजी नम्बर 1821 रकबा 1.08 हे0 सड़क के पश्चिमी दर्ज किया गया जिस पर कभी वादी का कब्जा नही रहा है। और प्रतिवादी संख्या 2 से 6 तक का कब्जा है। जिसको बिलानाम दर्ज किया जाना उचित है। अतः हाल आराजी नम्बर 1821 रकबा 1.08 हे0 को गत नक्शे के मुकाबले बिलानाम दर्ज करने एवं बिलानाम आराजी संख्या 1724 रकबा 2.25 हे0 मे से 1.08 हे0 भूमि वादीगणो के नाम दर्ज किया जाना उचित है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम केमुनिया की हाल आराजी नम्बर 1821 रकबा 1.08 हे0 को गत नक्शे के मुकाबले बिलानाम दर्ज करने एवं बिलानाम आराजी संख्या 1724 रकबा 2.25 हे0 मे से 1.08 हे0 भूमि वादीगणो के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम केमुनिया की हाल आराजी नम्बर 1821 रकबा 1.08 हे0 को गत नक्शे के मुकाबले बिलानाम दर्ज करने एवं बिलानाम आराजी संख्या 1724 रकबा 2.25 हे0 मे से 1.08 हे0 भूमि वादीगणो के नाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/6/17
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा